[2019] 11 एस सी आर 135

भागवान

वी.

सचिवालय के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य

घर, मुंबई, महाराष्ट्र

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 385)

अगस्त 07,2019

[संजय किशन कौल और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एस। 302 अभियोजन यू/एस. एस. 302 और 326-अपनी पत्नी की मौत और दो बच्चों को मिट्टी का तेल डालने के बाद आग लगाकर घायल करने के लिए-मृतक की मृत्यु की घोषणा-यू / s.302 और यू/एस से बरी होना। 326 निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा-उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः मृत्यु का कारण हत्या का लेखक साबित होता है जिसका आरोपी था-मृत्यु की घोषणा को रिकॉर्ड करने वाले अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य से पूरी तरह से साबित किया जाता है-दीपक के दुर्घटनावश गिरने के कारण जलने का बचाव संस्करण स्वीकार्य नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत व्यापक रूप से जलने के कारण सेप्टिसीमिया सदमे के कारण हुई थी। द.

मृतक 92 प्रतिशत जल गया था। विचाराधीन घटना 20.4.1999 की आधी रात को हुई थी। P.W.13 डॉक्टर के बयान से यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित को 21.4.1999 पर सुबह 3.10 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले पीड़िता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। इसलिए, घटना के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। [पारस 11 और 12] [143-जी; 144-बी-सी]

कालू राम बनाम। राजस्थान राज्य (2000) 10 एससीसी 324 -

प्रतिष्ठित।

2.1 चिकित्सा अधिकारी (पीडब्लू14) ने रोगी की जाँच की। वह.

उसने उससे दो-तीन सवाल पूछे। उन्होंने प्रमाण पत्र दिया था कि वह बयान देने के लिए योग्य हैं। वह पूरे समय होश में पाई गई और

यह प्रमाण पत्र बनाया गया कि वह पूरे समय होश में थी। यह सच है कि प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि

होश में रहते हुए रोगी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है। लेकिन बयान देने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि वर्तमान मामले में रोगी स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रमाण पत्र में मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होने का उल्लेख नहीं किया था

लेकिन उन्होंने मृत्यु घोषणा के लिए उपयुक्त कहा था। मरने वालों का एक अवलोकन

घोषणा चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त बयान की पुष्टि करेगी। यह तथ्य कि पीडब्लू 14 नाड़ी की दर को याद रखने में सक्षम नहीं था, रोगी की चिकित्सा स्थिति के संबंध में पीडब्लू 14 की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता है क्योंकि वह मरने की घोषणा करने के लिए उपयुक्त थी। इसके अलावा पीडब्लू। 7 जिन्होंने मृत्यु की घोषणा दर्ज की थी, उन्होंने चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए कहने के बारे में भी बात की और चिकित्सा अधिकारी की पुष्टि की। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में, रोगी की निरंतर चेतना प्रमाणित है पीडब्लू 14 द्वारा मृत्यु घोषणा और पीडब्लू 7 और पीडब्लू 14 के साक्ष्य द्वारा लाई गई परिस्थितियों के आधार पर वैधता और स्वीकार्यता के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा। [पारस 15,16 और 17] [147-ए-ई; 148-जी]

लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एससीसी 710 -

पीछा किया।

खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22:

[1958] एस. सी. आर. 552-संदर्भित।

2.2 केवल यह तथ्य कि रोगी को इस मामले में 92 प्रतिशत जलने की चोटें आईं, रोगी के मरने के रास्ते में खड़ा नहीं होगा।

घोषणा जो अन्यथा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है और शिक्षण से मुक्त है, और विश्वसनीय पाई जा सकती है। [पैरा 19] [149-ई]

विजय पाल बनाम. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (2015)

4 एससीसी 749: [2015] 3 एस. सी. आर. 394-निर्भर।

2.3 मृतक के अंगूठे पर कोई निशान न होना घातक नहीं है। पीडब्लू-7 जिन्होंने मृत्यु की घोषणा दर्ज की है

स्पष्ट रूप से अपदस्थ किया कि दोनों अंगूठे और दोनों हाथ

वे जल गए थे और इसलिए उनके अंगूठे का निशान नहीं लिया जा सका। यह बयान मृत्यु घोषणा में दिए गए बयान से सामने आता है। [पैरा 20] [149-एफ]

2.4 वर्तमान मामले में जलने की मात्रा स्पष्ट नहीं है।

हालांकि, एक बार डर्मिस पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है जब भगवान वी होता है।

महाराष्ट्र राज्य। सचिव गृह, मुंबई

थर्ड डिग्री बर्न में कोई दर्द नहीं होगा क्योंकि डर्मिस में पाया जाने वाला दर्द रिसेप्टर मर जाएगा। वास्तव में P.W.14 डॉक्टर ने अपने बयान में कहा है कि गंभीर स्थिति में यह आवश्यक नहीं है।

और पीडब्लू 14 चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य से भी। [पैरा 23,25] [151-सी-एफ-एच; 152-ए-बी-जी] 3. एफ. एस. एल. में मिट्टी के तेल वाले डिब्बे को फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजना एक उचित संदेह पैदा नहीं कर सकता है।

मरने की घोषणा का दृश्य। पीडब्लू 1 का कथन नहीं है

कैन की जब्ती का खुलासा करता है और इससे भी अधिक पीडब्लू 1 ने कहा है कि यह सच नहीं है कि पुलिस ने पंचनामे के नीचे प्लास्टिक के कंटेनर को जब्त कर लिया था। पीडब्लू 1 का साक्ष्य जो गवाह था पंचनामा से पता चलता है कि उपरोक्त गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था और अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान प्लास्टिक कंटेनर की कोई जब्ती नहीं होने के बारे में उपरोक्त बयान दिया गया था। हालाँकि, पीडब्लू 4 एक और गवाह है

पंचनामा जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सच है कि पुलिस अपीलार्थी के कमरे से एक प्लास्टिक का पात्र जब्त किया गया। [पैरा

26] [153 - ए-डी] [2019] 11 एस. सी. आर.

4. यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो मृत्यु घोषणा कारण की ओर इशारा करती है।

मृत्यु के हत्यारे होने और अपराध के लेखक होने का

अपीलार्थी द्वारा प्रतिबद्ध। अपीलार्थी नशे में था, उसने मिट्टी का तेल डाला। चोटों के लिए एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया में मृतक उन्मादी होगी और उसकी प्रतिक्रिया उसे करीब लाएगी

अपीलार्थी और उनके बच्चों सहित एक छोटे से कमरे में दूसरों के साथ संपर्क करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने बाद में आग बुझाने का प्रयास किया होगा। अपीलार्थी को मृत्यु घोषणा द्वारा पूरी तरह से फंसाया गया है। उनकी मृत पत्नी के मुंह से स्पष्ट शब्द निकले, जिनसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वह होश में होगी, कि उन्हें अपने निर्माता से मुंह में झूठ के साथ मिलना होगा। [पैरा 33] [155-एफ-एच]

मामला कानून संदर्भ

[1958] एससीआर 552

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

(2000) 10 एस. सी. सी. 324

प्रतिष्ठित

पैरा 12

(2002) 6 एस. सी. सी. 710

पीछा किया।

पैरा 14

[2015] 3 एससीआर 394

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

2010 का सं. 385।

उच्च न्यायालय के 19.04.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 की आपराधिक अपील संख्या 488 में बॉम्बे, नागपुर पीठ में न्यायिक कार्य।

ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मंजीत चावला, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी।

भागवान बनाम। महाराष्ट्र राज्य। सचिव गृह, मुंबई

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा रखी गई यह अपील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित है जिसमें अपील को खारिज कर दिया गया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 302 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुसाद द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है। संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार हैः

अपीलार्थी की शादी मृतक के साथ 12.05.1995 पर हुई थी। इस शादी से दो बेटों का जन्म हुआ। अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया था कि

एक महिला के साथ अवैध संबंध रखना। वह शराब भी पी रहा था। वह झगड़ा करता और अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता। आई. डी. 1 को रात के लगभग 12 बजे वह नशे की हालत में घर आया और अपनी पत्नी को पीटा और उसके बाद उसने मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। मृतक को दो बेटों के साथ लगभग 2 बजे आरनी के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्हें भी जलने की चोटें आई थीं। अपीलार्थी को भी जलने की चोटें आईं। 22.4.1999 पर राम औडारे ने मृतक की मृत्यु घोषणा दर्ज की। मृत्यु घोषणा में अपीलार्थी को नशे में धुत होने के कारण उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने और उसे आग लगाने के लिए आरोपित किया गया था। मृतक ने 23.4.1999 पर जलने की चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अपीलार्थी को 5.6.1999 पर गिरफ्तार किया गया। जाँच के बाद, आई. पी. सी. की धारा 302 और 326 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। स्वेच्छा से अपने बेटों को जलाने के लिए धारा 326 के तहत आरोप तय किया गया था और निचली अदालत ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी पाया। आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत आरोप के संबंध में, अपीलार्थी को बरी कर दिया गया।

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है

राज्य के लिए विद्वान वकील भी। 3. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने में गलती की है कि मृतक था

घटना की तारीख के 2 दिन बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने हमें पीडब्लू 8 के बयान के माध्यम से ले जाया, पुलिस अधिकारी जहाँ वे कहते हैं "दस्तावेजों के अनुसार, रोगी को 19.4.1999 पर अस्पताल ले जाया गया था। सबसे पहले उन्हें अरनी अस्पताल और फिर यवतमाल ले जाया गया। वह शिकायत करता है।

कि पुलिस अधिकारी के इस बयान के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि मृतक को 2 दिनों के बाद ही अस्पताल ले जाया गया था, स्पष्ट रूप से गलत है।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामला, जो अपीलार्थी द्वारा स्थापित किया गया है, वह यह है कि मृतक को, उसे और उसे जो जलने की चोटें आई थीं

दो बेटे तेल के दीपक से दुर्घटनावश नीचे गिरने के परिणामस्वरूप थे। इस संस्करण को इस तथ्य से संभव बनाने की कोशिश की जाती है कि अपीलार्थी को खुद जलने की चोटें आईं। यह लगभग 25 प्रतिशत था। उनके दो नाबालिग बेटों को भी 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक जलने की चोटें आईं। यह पहलू अपीलार्थी की ओर से कथित जानबूझकर किए गए कार्य के साथ अपरिवर्तनीय है।

मिट्टी का तेल डालने और अपनी पत्नी को आग लगाने में। दूसरे शब्दों में, अगर उसने मिट्टी का तेल डालने के बाद उसे आग लगा दी है, तो वह और उसके बेटे कैसे जल सकते हैं, यह तर्क चलता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सास की जाँच न किए जाने की व्याख्या नहीं की गई है। इसके बाद, उन्होंने बताया कि पीडब्लू 7 जो नायब तहसीलदार थे जिन्होंने कथित तौर पर मृत्यु को रिकॉर्ड किया था

घोषणा में कहा गया है कि रोगी का रिश्तेदार अस्पताल में था। यदि ऐसा है, तो वह बताते हैं कि मृतक ने रिश्तेदारों को मृत्यु की घोषणा की होगी। ऐसी कोई मृत्यु घोषणा आने वाली नहीं है।

फिट। बयान के अनुसार यह निश्चित नहीं है कि मृतक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और होश में था। इस समर्पण को ठीक करने के लिए उन्होंने पी. डब्ल्यू. 14 के बयान पर भरोसा किया जिसमें वे कहते हैं, "यह संभव हो सकता है। रोगी सचेत है लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि डॉक्टर ने सबूत दिया है कि वह यह नहीं बता सके कि रोगी की नाड़ी की दर क्या थी। वह आगे कहता है कि मृत्यु घोषणा दर्ज करते समय वह यह नहीं कह पा रहा है कि तहसीलदार कौन है। डॉक्टर का यह अंतिम बयान उसके मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि मृत्यु की घोषणा अविश्वसनीय है क्योंकि डॉक्टर भी निश्चित रूप से यह बताने में सक्षम नहीं है कि मृत्यु की घोषणा किसने दर्ज की थी, चाहे वह पी. डब्ल्यू. 7 हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसका नाम पी. डब्ल्यू. 7 द्वारा लिया गया हो और मृत्यु की घोषणा में दिखाया गया हो। एक बार फिर, डॉक्टर के बयान पर यह कहकर हमला किया जाता है कि ऐसा नहीं है

उस गंभीरता के साथ जो इसके योग्य थी। डॉक्टर का कहना है कि भगवान बनाम।

महाराष्ट्र राज्य। सचिव गृह, मुंबई [के. एम. जोसेफ, जे.]

उन्होंने प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे बयान देते समय मृतक की स्थिति का परीक्षण करने के लिए रोगी। डॉक्टर यह भी कहता है कि उसे नहीं पता कि उस दिन बर्न यूनिट का प्रभारी कौन है। उसने बयान दिया है कि उसने यह प्रमाण पत्र देने से पहले कि वह बयान देने के लिए उपयुक्त है, 2-3 प्रश्न पूछे हैं। इससे भी आगे, यह बताया गया है कि मृतक मृत्यु की घोषणा देने की स्थिति में नहीं था। वह 92 प्रतिशत जल गई थी।

6. अपीलार्थी ने डी. डब्ल्यू 1 और डी. डब्ल्यू 2 के रूप में दो गवाहों से पूछताछ की है।

वास्तव में, डी. डब्ल्यू. 2 ने मुख्य जांच में कहा कि रास्ते में अरनी के अस्पताल में जीप से अरनी जाते समय मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर ने मृतक से पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। उसने कथित तौर पर कहा कि दीपक गिर गया था और वह जल गई थी। वास्तव में, हम देखते हैं कि गवाह कहेगा कि यवतमाल नामक निर्दिष्ट अस्पताल में भी डॉक्टर ने मृतक से पूछा कि उसकी हत्या कैसे की गई। उस समय मृतक ने यह भी कहा कि दीपक गिरने के कारण वह जल गई थी, डी. डब्ल्यू. 2 ने यह भी कहा कि अपीलार्थी ने उसे बताया कि आग बुझाते समय उसे जलने की चोट लगी थी।

7. राज्य के लिए प्रति विपरीत विद्वान वकील ने प्रतिवाद किया

प्रस्तुतियाँ। उन्होंने यह इंगित करते हुए शुरुआत की कि जिस स्थान पर घटना हुई वह एक कमरा था जिसमें अपीलार्थी, मृतक और दो बेटे रह रहे थे। एक छोटे से कमरे के संदर्भ में अपीलार्थी और बेटों को लगी जलने की चोटें और जब मृतक को व्यापक रूप से जलने की चोटें आईं, तो यह पूरी तरह से हत्या के साथ संगत थी और पति और बेटों पर कुछ जलने की चोटें हो सकती थीं क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के दौरान वह इधर-उधर भागती थी और आसपास के लोगों को भी आग लग जाती थी। राज्य के लिए विद्वान वकील इंगित करेंगे कि अपीलार्थी का यह तर्क कि मृतक को उसी दिन अस्पताल ले जाया गया था अर्थात् 19.4.1999 सही नहीं है। वह इंगित करेंगे कि मृतक को पहले अग्नि अस्पताल ले जाया गया था

21.4.1999 जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया। जहाँ तक यह तर्क है कि वैद्य का नाम मृत्यु घोषणा में दिखाया गया है, यह हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि मृत्यु घोषणा एक मुद्रित रूप में दर्ज की जाती है। बस इतना ही हुआ होगा कि पृष्ठ के शीर्ष पर वैद्य का नाम छपा हुआ था। इसका महत्व पीडब्लू-7 है। उन्होंने सबूत दिया है कि उन्होंने मृत्यु की घोषणा दर्ज की है। राज्य के विद्वान वकील ने बताया कि

मृत्यु घोषणा श्री वैद्य द्वारा दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन यह वास्तव में पी. डब्ल्यू. 7 द्वारा स्वयं श्री राम औडारे द्वारा दर्ज की गई थी। इसलिए मुद्रित रूप में दिखाई देने वाले वैद्य के नाम पर कुछ भी नहीं होता है।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि शराब की लत के कारण उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और अवैध व्यवहार के बारे में साक्ष्य

रिश्ता अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए पुरुषों के कारण की धारणा को जन्म नहीं दे सकता है। आरोप आत्महत्या या क्रूरता पैदा करने का नहीं है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि मृत्यु घोषणा के अधीन होना चाहिए कड़ी जाँच। रिलायंस को खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22 में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है, यह तर्क देने के लिए कि यदि मृत्यु घोषणा एक दुर्बलता से ग्रस्त है, तो बिना पुष्टि के, यह दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है। शिक्षण और संकेत को खारिज किया जाना चाहिए (देखें ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1994)। मृतक को 92 प्रतिशत जलने की चोटें आईं और उसके सिर, गर्दन और चेहरे को छोड़कर शरीर के अन्य सभी हिस्सों पर, उसने अपनी पूरी त्वचा खो दी। जलने की चोटों ने उसे अधिकतम दर्द, तरल पदार्थ और चेतना की हानि का कारण बना दिया होगा। P.W.14 के साक्ष्य के अनुसार उन्हें दर्द निवारक दवा दी गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि मृतक के हाथ या पैर पर कोई हस्ताक्षर या छाप नहीं थी।

घोषणा। मृत्यु घोषणा के आधार पर दर्ज की गई एफ. आई. आर. को एफ. आई. आर. के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन एफ. आई. आर. में मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं होने और मृत्यु घोषणा संदेह पैदा करती है। मृत्यु से पहले दर्ज की गई एफ. आई. आर. में धारा 303 लिखी गई है। रिलायंस को बयान पर रखा गया था

गवाह अर्थात् (पीडब्लू3, पीडब्लू7, पीडब्लू11, पीडब्लू12 और पीडब्लू13) यह इंगित करने के लिए कि घटना की वह तिथि जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला, जिसमें घटना की तारीख 19 तारीख है, मृतक को केवल 21 तारीख को ही भर्ती किया गया था, गलत है। यह घटना 20 तारीख की आधी रात को हुई। यह तर्क दिया जाता है कि एक घंटे के भीतर, घायल को लगभग 1 बजे अरनी अस्पताल ले जाया गया और फिर यवतमाल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया

तुरंत और सुबह 3:30 बजे भर्ती किया गया। घटना, प्रवेश और स्थानांतरण उसी रात हुआ और कोई देरी नहीं हुई। मिट्टी के तेल वाले डिब्बे की वसूली के संबंध में, इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

फोरेंसिक जांच के लिए, डिब्बे को बिल्कुल नहीं भेजा गया था। पी. डब्ल्यू. 1 पंचनामे के गवाह ने गवाही दी है कि पुलिस ने एक दीपक और एक रजाई जब्त की है। पुलिस ने प्लास्टिक के पात्र को जब्त नहीं किया। पी. डब्ल्यू. 1 ने अपदस्थ किया है कि कमरे में रजाई, दीपक और साड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस ने किसी को नहीं हटाया उनकी उपस्थिति में लेख। पंचनामे में क्या लिखा है, वह नहीं बता सकते। स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने में विफलता की शिकायत की जाती है। बचाव पक्ष के गवाहों के बयान पर भरोसा रखा जाता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पड़ोसी शंकर तलवार और माँ की जाँच करने में विफलता- भागवान बनाम में।

महाराष्ट्र राज्य। एसईसी।

[के. एम. जोसेफ, जे.]

गवाह के रूप में कानून संदेह पैदा करता है। घायल को अस्पताल कैसे ले जाया गया, यह सबूतों के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया है। घायलों को अस्पताल ले जाने वाले गवाहों से पूछताछ नहीं की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा डी. डब्ल्यू. 2 की जांच करने में विफलता, जिसने मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया था और एक भौतिक गवाह था और जिसका बयान धारा 161 Cr.P.C के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, उस पर भी सवाल उठाया जाता है। धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलार्थी के स्पष्टीकरण के साथ अपीलार्थी को व्यापक रूप से जलने की चोट लगी और उसी दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनी 64 में, इसे आकस्मिक जलन की चोट कहा गया है।

9. इसके विपरीत, लिखित प्रस्तुति में राज्य के वकील ने

यह बताएगा कि अभिलेख पर दस्तावेज़ के सूक्ष्म अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि घटना 20/04/1999 की आधी रात को हुई थी। उस पर

21/4/1999 पीड़ित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अरनी में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद, उसे वसंत राव मलिक मेडिकल अस्पताल, यवतमाल में रेफर कर दिया गया। डॉ. वसुधर सुधाकर डेहनकर के साक्ष्य से पता चलता है कि पीड़ित को यवतमाल के सामान्य अस्पताल में सुबह 3.10 बजे भर्ती कराया गया था।

अभियोजन मामले के लिए मुख्य समर्थन। स्पॉट पंचनामा प्रदर्शनी 28 से पता चलता है कि अपीलार्थी, पीड़ित और बच्चे एक बहुत ही छोटे इलाके में रह रहे थे।

कमरा। स्पॉट पंचनामे में मिट्टी के तेल (रॉकेट) के खाली डिब्बे का उल्लेख है।

10. सबसे पहले हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह विशेष अनुमति द्वारा रखी गई एक अपील है। अपील के खिलाफ निर्देशित किया जाता है समवर्ती निष्कर्ष अर्थात् उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित विचारण न्यायालय के निष्कर्ष। अवकाश दिए जाने के बाद भी, इस न्यायालय की शक्ति पर सीमाएँ, जो विशेष अवकाश दिए जाने के समय मौजूद थीं, बनी हुई हैं।

अदालत।

मृत्यु का कारण

11. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत व्यापक जलने के कारण सेप्टिसीमिया सदमे के कारण हुई थी। मृतक को 92 प्रतिशत नुकसान हुआ।

वास्तव में जलती हुई चोटें।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुरुआत की तारीख

12. यह सच है कि जहां तक घटना की तारीख का संबंध है, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि घटना हुई थी। 19.4.1999 पर रखें और अपीलार्थी ने जानबूझकर अपनी पत्नी के प्रवेश में 2 दिनों के लिए देरी की। राज्य की ओर से लिखित निवेदन को ध्यान में रखते हुए, इस पहलू को अपीलार्थी के पक्ष में रखा जाना चाहिए जैसा कि राज्य के लिखित निवेदन में कहा गया है कि विचाराधीन घटना ने

20.4.1999 की आधी रात में रखें। P.W.13 डॉक्टर के बयान से यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित को यवतमाल में सुबह 3.10 बजे 21.4.1999 पर भर्ती कराया गया था, इससे पहले कि पीड़ित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अरनी ले जाया गया था। इसलिए, पीड़ित को घटना के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया। कालू राम बनाम में इस अदालत के फैसले को लागू नहीं करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है। राजस्थान राज्य 2000 (10) एस. सी. सी. 324, उच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति पर भरोसा किया है कि मृतक और बच्चे 19.4.1999 से 21.4.1999 तक बिना किसी चिकित्सा के लेटे हुए थे जो गलत है। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि उक्त मामले में यह एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी मृतक को जलाना चाहता था और उसे डराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह नियंत्रण से बाहर हो गया और मौत हो गई। यहां तक कि लिखित प्रस्तुतिकरण के अवलोकन से भी पता चलता है कि अपीलार्थी घटना के होने के मामले में दृढ़ रहता है।

आकस्मिक और 2000 (10) एस. सी. सी. 324 में निर्णय द्वारा संग्रहित नहीं है।

मरने की घोषणा

(ए) विवेक और मन की स्थिति

13. अपीलार्थी आग्रह करेगा कि मृतक 92 प्रतिशत जल गया था। उसके सिर, गर्दन और चेहरे को छोड़कर, उसके अन्य सभी हिस्सों पर उसने अपना पूरा शरीर खो दिया था। तरल पदार्थ और चेतना की हानि होगी। डॉक्टर (पीडब्लू 14) यह बताने में असमर्थ है कि रोगी की नाड़ी की दर क्या थी। चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित मृत्यु घोषणा में, जो प्रमाणित किया जाता है वह यह है कि रोगी पूरे समय होश में है। पी. डब्ल्यू. 14 चिकित्सा अधिकारी थे। उसने अपदस्थ कर दिया है कि उसने उसकी जाँच की और वह पूरी तरह से होश में थी। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील यह इंगित करेंगे कि प्रतिपरीक्षा में, चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि यह संभव हो सकता है कि रोगी होश में हो लेकिन वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो। उनका यह भी कहना है कि रोगी को दर्द निवारक दवा दी गई थी लेकिन यह बताने में असमर्थ था कि कौन सी दर्द निवारक दवा दी गई थी। उन्होंने प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि रोगी से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यह आवश्यक नहीं है कि दर्द निवारक में पी. डब्ल्यू.-14 अपदस्थ की गई दवा हो।

भागवान बनाम। महाराष्ट्र राज्य। एसईसी।

[के. एम. जोसेफ, जे.]

14. यह सच है कि मृत्यु घोषणा में चिकित्सा अधिकारी पी. डब्ल्यू. को केवल प्रमाणित किया जाता है कि रोगी होश में था। उसके लिए एक मृत्यु घोषणा के रूप में प्रश्न जो अन्यथा विश्वास को प्रेरित करता है, इस कारण से अस्वीकृति के साथ मिलना चाहिए कि जो कुछ भी प्रमाणित किया गया है वह रोगी सचेत था और यह कि यह आगे प्रमाणित नहीं है किशारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के कारण अब पूर्ण समाकलन नहीं है। लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2002 (6) 710 में इस न्यायालय के संविधान में यह कहा गया थाः

" 4. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम न्यायालय के उन दो निर्णयों की जांच करें जिन्होंने पीठ को संविधान पीठ को संदर्भित करने के लिए राजी किया। पापरमबक में

रोसाम्मा वी। ए. पी. राज्य [(1999) 7 एस. सी. सी. 695: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1361] विचाराधीन मृत्यु घोषणा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई थी और मजिस्ट्रेट ने एक नोट बनाया था कि घोषणाकर्ता से प्राप्त प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर वह संतुष्ट था कि मृतक एक घोषणा करने के लिए मानसिक स्थिति में है। डॉक्टर ने इस प्रभाव के लिए एक प्रमाण पत्र जोड़ा था कि बयान दर्ज करते समय रोगी होश में था, फिर भी अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मृत्यु की घोषणा को सही और वास्तविक के रूप में स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा और यह तब किया गया था जब घायल व्यक्ति दिमाग की स्वस्थ स्थिति में था क्योंकि डॉक्टर का प्रमाण पत्र केवल इस प्रभाव के लिए था कि बयान दर्ज करते समय रोगी होश में है। कानून में उपरोक्त निष्कर्ष के अलावा अदालत ने भी गंभीर खामियों को पाया था और अंततः मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा को स्वीकार नहीं किया था। कोली चुनीलाल में इस न्यायालय के बाद के फैसले में

सावजी वी। गुजरात राज्य [(1999) 9 एससीसी 562: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 432] यह माना गया कि अंतिम परीक्षा यह है कि क्या मृत्यु हो रही है। घोषणा को सच्चा माना जा सकता है और स्वेच्छा से दिया जा सकता है।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि घोषणा दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि घोषणाकर्ता प्रश्नगत बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। न्यायालय ने रवि चंदर बनाम में पहले के निर्णय पर भरोसा किया। पंजाब राज्य [(1998) 9 एससीसी 303: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1004] जिसमें यह देखा गया था कि डॉक्टर द्वारा जाँच नहीं करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा और मौखिक रूप से की गई मृत्यु घोषणा पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट एक निःस्वार्थ गवाह और एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते और यह संदेह करने के लिए कोई परिस्थिति या सामग्री नहीं है कि मजिस्ट्रेट को आरोपी [2019] 11 एस. सी. आर. के खिलाफ कोई दुश्मनी थी।

उठती नहीं है। 5. न्यायालय ने भी उपरोक्त मामले में इस निर्णय पर भरोसा किया कि

इस न्यायालय ने हरजित कौर बनाम. पंजाब राज्य [(1999) 6 एस. सी. सी 545

: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1130] जिसमें मजिस्ट्रेट अपने साक्ष्य में

उसने कहा था कि उसने डॉक्टर से पता लगाया था कि क्या वह

बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में था और एक प्राप्त किया

उस प्रभाव का समर्थन और केवल एक समर्थन के कारण

घोषणा पर नहीं किया गया था लेकिन आवेदन पर नहीं किया जाएगा

मृत्यु घोषणा को किसी भी तरह से संदिग्ध बनाएँ। इसके लिए

कारण पहले ही बताए जा चुके हैं, हमें आने में कोई संकोच नहीं है

इस निष्कर्ष पर कि इस न्यायालय की टिप्पणियाँ पापरम्बका रोसम्मा बनाम। ए. पी. राज्य [(1999) 7 एस. सी. सी. 695:

1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1361] (एस. सी. सी. पी. 701, पैरा 8) इस प्रभाव के लिए कि

" एक चिकित्सा प्रमाणन के अभाव में कि घायल था

घोषणा करते समय मन की एक उपयुक्त स्थिति में, यह

एक मजिस्ट्रेट का जिसने राय दी कि घायल की हालत ठीक है घोषणा करते समय ध्यान दें "

बहुत व्यापक रूप से कहा गया है और इसका सही उच्चारण नहीं है कानून। यह वास्तव में एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण है कि प्रमाणन

डॉक्टर का प्रभाव था कि रोगी होश में है और वहाँ

क्या कोई प्रमाणन नहीं था कि रोगी मन की स्वस्थ स्थिति में था

उसने रोगी से पूछे गए प्रश्नों का संकेत देते हुए और प्राप्त उत्तरों से संतुष्ट था कि रोगी स्वस्थ स्थिति में था

ध्यान रखें कि इसके बाद उन्होंने मरने की घोषणा दर्ज की। इसलिए,

पापरमबाका रोसम्मा बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। राज्य

ए. पी. [(1999) 7 एस. सी. सी. 695: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1361] आयोजित किया जाना चाहिए।

सही ढंग से तय नहीं किया जाना है और हम द्वारा निर्धारित कानून की पुष्टि करते हैं इस न्यायालय ने कोली चुनीलाल सावजी बनाम. गुजरात राज्य (1999) 9

एससीसी 562 "।

(जोर दिया गया)

15. इस मामले में चिकित्सा अधिकारी ने पहले साक्ष्य दिया है

. हम उनके साक्ष्य की संपूर्णता से बेखबर नहीं रह सकते। उसके पास हैलेकिन शाम को लगभग 5 बजे, तहसीलदार अस्पताल आए और उन्हें भगवान बनाम बताया।

का राज्य

महाराष्ट्र टीएचआर। एसईसी।

[के. एम. जोसेफ, जे.]

कि उसे एक मृत्यु घोषणा दर्ज करनी है। मरीज वहाँ था। तहसीलदार ने उन्हें (पीडब्लू-14) रोगी की जाँच करने के लिए कहा कि क्या वह जाँच के लिए उपयुक्त है। उन्होंने मरीज की जांच की। उसने उससे दो-तीन सवाल पूछे। उन्होंने प्रमाण पत्र दिया था कि वह बयान देने के लिए योग्य हैं। तहसीलदार ने प्रश्न और उत्तर प्रपत्र में रोगी का बयान दर्ज किया और पीडब्लू 14 को तहसीलदार द्वारा उसकी जांच करने के लिए फिर से कहा गया और पीडब्लू 14 ने उसकी जांच की और वह पूरी तरह से होश में पाई गई और हमारे द्वारा नोट किया गया कि वह होश में थी। यह सच है कि प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि रोगी होश में होने के बावजूद मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है। लेकिन बयान देने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि इस मामले में रोगी था फिट। उनका कहना है कि उन्होंने प्रमाण पत्र में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मृत्यु घोषणा के लिए उपयुक्त बताया है। मृत्यु घोषणा के अवलोकन से चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त बयान की पुष्टि होगी क्योंकि यह वास्तव में कहा गया है कि रोगी डीडी ('मृत्यु घोषणा' के लिए संक्षिप्त रूप) के लिए उपयुक्त है। यह तथ्य कि पीडब्लू 14 नाड़ी की दर को याद रखने में सक्षम नहीं था, रोगी की चिकित्सा स्थिति के संबंध में पीडब्लू 14 की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता है क्योंकि वह मरने की घोषणा करने के लिए उपयुक्त थी।

16. इसके अलावा पीडब्लू। 7 जिसने मरने की घोषणा भी दर्ज की है

चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए कहने के बारे में बात करता है

रोगी से प्रश्न पूछें। उसने अपना नाम और उम्र और वह क्या पूछती है कर रहा था। यह उचित होगा कि हम डीडी निकालें।

" चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र रोगी डी. डी. के लिए उपयुक्त है।

एस. डी./-

XXILLEGIBLEX

डीटी/-

22/4/99

17.05 घंटे

चिकित्सा अधिकारी का पूरा नाम हस्ताक्षर और तिथि के साथ

22/4/99 की तिथि और समय 17.05 पर जो मरते समय से शुरू होता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूछे गए प्रश्नः

1. तेरा नाम क्या है? : - सरला भगवान श्रीराम

3. आपका पेशा क्या है? : - घरेलू काम 4. आपका निवास स्थान क्या है? : - दाभदी

5 . संक्षेप में बताएँ कि उक्त घटना कैसे और कब हुई? : - उस पर

सोमवार को रात के लगभग 12.00 बजे। मेरे पति ने मारा मुझे। इसके बाद उन्होंने मेरे व्यक्ति पर मिट्टी का तेल डाला और सेट कर दिया।

मुझे आग से। उस समय वह शराब के नशे में था।

6. उस व्यक्ति के नाम क्या हैं जिसकी उपस्थिति में

कहा कि घटना हुई थी? : - पति और सास।

7. क्या आपको किसी पर संदेह है? - मेरे पति भगवान ने मुझे स्थापित किया

आग में।

8. कुछ और कहना चाहते हैं? : - मेरे दोनों बेटे भी

निरंतर जलन।

मृत्यु घोषणा को समाप्त करने का समय। : - 17.15 घंटे।

रिकॉर्डिंग के समय डॉक्टर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था।

मृत्यु घोषणा (इसे) पढ़ा गया और सही माना गया।

एस. डी./- एस. बी. ऑडारिया

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा नाम और हस्ताक्षर

चूँकि वहाँ जलन होती है

कार्यकारी मजिस्ट्रेट

दोनों हाथों में,

अंगूठे-प्रभाव हो सकता है

यवतमाल।

प्राप्त नहीं किया जा सकता

चिकित्सा एक्स अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र रोगी होश में है

सब जगह।

एस. डी./- हस्ताक्षर और तिथि के साथ चिकित्सा अधिकारी का पूरा नाम।

17. इसलिए, इस मामले के तथ्यों में हमारा विचार है कि

रोगी की न्यूड चेतना को पी. डब्ल्यू. 14 द्वारा मृत्यु की घोषणा और परिस्थितियों के साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

और पीडब्लू 14 वैधता और स्वीकार्यता के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा।

18. क्या कोई व्यक्ति जिसे 92 प्रतिशत जलने की चोटें आई हैं, वह किसी स्थिति में हो सकता है?

मृत्यु घोषणा देने के लिए? यह प्रश्न भी अब भागवान बनाम नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य। एसईसी।

[के. एम. जोसेफ, जे.]

समाकलन। विजय पाल बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) 2015 (4) एस. सी. सी. 749, हम निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देते हैंः

" 23. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब मृतक को 100% जलने की चोटें आईं, तो वह अपने भाई को कोई बयान नहीं दे सकती थी। इस संबंध में, हम कर सकते हैं लाभप्रद रूप से माफाभाई नगरभाई रावल बनाम में निर्णय का उल्लेख करें। गुजरात राज्य; (1992) 4 एससीसी 69: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 810 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 99 प्रतिशत जलने की चोटों से पीड़ित व्यक्ति हो सकता है

मरने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त सक्षम माना जाता है

घोषणा। उक्त मामले में न्यायालय ने राय दी कि जब तक कुछ अंतर्निहित और स्पष्ट दोष मौजूद नहीं है, तब तक निचली अदालत को डॉक्टर की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रखनी चाहिए थी। मामले के तथ्यों के आलोक में, मृत्यु घोषणा को निर्भरता के योग्य पाया गया। 24. राज्य में एम. पी. बनाम. दल सिंह; (2013) 14 एससीसी 159: (2014) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 141, एक दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर भरोसा रखा

मृतक की मृत्यु घोषणा जो 100% जलने की चोटों से पीड़ित थी, इस आधार पर कि मृत्यु घोषणा पाई गई थी

विश्वसनीय "।

19. इसलिए, केवल यह तथ्य कि रोगी को इस मामले में 92 प्रतिशत जलने की चोटें आईं, रोगी के उपचार में बाधा नहीं बनेगी।

मृत्यु घोषणा जो अन्यथा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है और शिक्षण से मुक्त है, और विश्वसनीय पाई जा सकती है।

क्या मृतक के अंगूठे पर कोई निशान नहीं है

घातक?

20. पीडब्लू-7, जिन्होंने मृत्यु की घोषणा दर्ज की है, ने स्पष्ट रूप से कहा है

दर्द निवारक हत्यारों का प्रभाव 21. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि दोनों ऊपरी अंग और निचले अंग, यानी लगभग 54 प्रतिशत जल गए थे। यह दर्शाता है कि

छाती [सामने का धड़] और पीठ 36 प्रतिशत होती है और यह जल जाती है। केवल एच. एन. एफ. भाग में ही यह पूरी तरह से नहीं जलाया गया था। जहाँ तक जलन की चोट के संबंध में दर्द की बात है, हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि [2019] 11 एस. सी. आर. से क्या उत्पन्न होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लिखित निवेदन के साथ खुद को बांधे, अर्थात् 'जलाएं'

इनिका ऑनलाइन विश्वकोश '।

" सेकंड डिग्री बर्न में नुकसान पूरे एपिडर्मिस और डर्मिस के हिस्से तक फैलता है। इन चोटों की विशेषता लालिमा और फफोले हैं। जितनी गहराई तक जलन होती है, उतने ही अधिक प्रचलित फफोले होते हैं, जो घंटों के दौरान तुरंत आकार में बढ़ जाते हैं। चोट के बाद। फर्स्ट-डिग्री बर्न की तरह, सेकंड-डिग्री चोटें बेहद दर्दनाक हो सकती हैं। जटिलताओं का विकास और सेकंड-डिग्री बर्न में उपचार का क्रम डर्मिस को नुकसान की सीमा पर निर्भर करता है। जब तक वे संक्रमित नहीं हो जाते हैं, तब तक अधिकांश सतही द्वितीय-डिग्री जलन बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाती है और 10 से 14 दिनों में थोड़ा निशान हो जाता है।

थर्ड-डिग्री, या पूर्ण-मोटाई, जलन त्वचा की पूरी मोटाई को नष्ट कर देती है। घाव की सतह चमड़े की होती है और हो सकती है

ब्राउन, टैन, ब्लैक, व्हाइट या रेड। घाव का कोई दर्द चमड़े का नहीं होता है और यह भूरा, टैन, काला, सफेद या लाल हो सकता है। कोई दर्द नहीं है, क्योंकि दर्द रिसेप्टर्स को बाकी डर्मिस के साथ मिटा दिया गया है। रक्त वाहिकाएँ, पसीने की ग्रंथियाँ, सीबेसियस ग्रंथियाँ और बालों के रोम सभी त्वचा में नष्ट हो जाते हैं जो पूरी तरह से मोटी जलन से पीड़ित होती है। इन चोटों से जुड़े द्रव के नुकसान और चयापचय संबंधी गड़बड़ी गंभीर हैं।

XXXX शल्य चिकित्सक शरीर के कुल त्वचा क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में जलन के क्षेत्र को मापते हैं। प्रत्येक भुजा पर त्वचा का क्षेत्र लगभग 9 प्रतिशत है।

शरीर का कुल, जैसा कि त्वचा सिर और गर्दन को ढकती है। प्रत्येक पैर पर प्रतिशत 18 है, और धड़ पर प्रतिशत सामने की ओर 18 और पीछे की ओर 18 है। क्षति का प्रतिशत

त्वचा जीवित रहने की संभावनाओं को प्रभावित करती है। अधिकांश लोग अपने शरीर के 70 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करने वाले सेकंड-डिग्री बर्न से बच सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग 50 प्रतिशत को प्रभावित करने वाले थर्ड-डिग्री बर्न से बच सकते हैं। यदि क्षेत्र 20 प्रतिशत तक कम हो जाता है, तो अधिकांश लोगों को बचाया जा सकता है, हालांकि बुजुर्ग लोग और शिशु 15 प्रतिशत त्वचा पर जीवित रहने में विफल हो सकते हैं।

हानि "।

22. इस मामले में जलने की मात्रा स्पष्ट नहीं है। हालांकि, डर्मिस पूरी तरह से प्रभावित होता है जब थर्ड डिग्री बर्न होता है तो कोई दर्द नहीं होगा क्योंकि डर्मिस में पाया जाने वाला दर्द रिसेप्टर मर जाएगा। वास्तव में P.W.14 डॉक्टर ने अपने बयान में कहा है कि भगवान बनाम।

महाराष्ट्र राज्य। एसईसी।

[के. एम. जोसेफ, जे.]

यह आवश्यक नहीं है कि गंभीर जलन में दर्द हो। यह सच है कि

दर्द निवारक दवा दी गई होगी जैसा कि डॉक्टर ने कहा था क्योंकि जलन ने त्वचा को समान रूप से प्रभावित नहीं किया होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या व्यापक रूप से जलने के बावजूद, रोगी होश में था और मानसिक और शारीरिक रूप से उस स्थिति में था कि वह उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सके और उसी का उत्तर दे सके।

घोषणा के लिए विद्या का नाम 23. एक अन्य पहलू जिस पर हमारे सामने गंभीरता से तर्क दिया जाता है, वह यह था कि डीडी के रूप में जो नाम दिखाई देता है, वह एक वैद्य का है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर दिया कि यह वैद्य नहीं है, जिसने डी. डी. रिकॉर्ड किया है, बल्कि पी. डब्ल्यू. 7 अर्थात् श्रीराम भानुदास ऑड्रे है, जिसने कथित रूप से घोषणा दर्ज की है। एक मृत्यु घोषणा यदि यह अन्यथा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है तो दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। यदि यह अन्यथा है तो इसे निश्चित रूप से पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। यह तर्क दिया गया था कि जब मृत्यु घोषणा के सामने यह प्रतीत होता है कि यह वैद्य है जिसने बयान दर्ज किया है तो आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को इस तरह के मृत्यु घोषणा के आधार पर कैसे बनाए रखा जा सकता है जो पी. डब्ल्यू. 7 के अनुसार उन्होंने दर्ज किया है न कि वैद्य। हालाँकि पहली नज़र में यह आकर्षक लगता है, हम नहीं सोचते कि परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर यह स्वीकार करने योग्य है। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने बताया कि वैद्य का नाम शीर्ष पर आता है

मरने की घोषणा के लिए मुद्रित प्रपत्र दर्ज किया जा रहा है लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वैद्य है जिसने इसे रिकॉर्ड किया था या यह ऑड्रे है जिसने इसे रिकॉर्ड किया था। श्रीराम भानुदास औद्रे का पी. डब्ल्यू. 7 के रूप में परीक्षण किया गया है। वह बोलता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि वार्ड का प्रभारी कौन था या रोगी की जांच करने वाले डॉक्टर का नाम। विवरण लिखने के लिए कोई कॉलम नहीं है जैसे कि डॉक्टर का नाम। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि वह यह कहने में असमर्थ हैं कि रोगी का कौन सा हिस्सा जल गया था। वह इस बात से इनकार करता है कि रोगी बोलने में असमर्थ था। समान रूप से, वह इस बात से इनकार करता है कि उसने रोगी के रिश्तेदार के कहने पर घोषणा तैयार की थी। उनके सामने कोई निश्चित मामला नहीं रखा गया है कि यह वह नहीं था जिसने मृत्यु घोषणा दर्ज की थी और यह कि यह वैद्य था। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने हमें बताया, हस्ताक्षर पीडब्लू 7 का प्रतीत होता है, [2019] 11 एस. सी. आर. के संदर्भ में हस्ताक्षर के माध्यम से जो लिखा गया है, उसका उल्लेख किया गया है।

नाम के साथ समानता। इसलिए हम यह मानने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि यह पीडब्लू 7 नहीं था जिसने मृत्यु घोषणा दर्ज की थी। लेकिन हम पूरी तरह से

एक दस्तावेज़ की वास्तविकता के बारे में तर्क एक मृत्यु घोषणा के रूप में गंभीर है। 24. अपीलार्थी के पास मामला है कि मृत्यु घोषणा दर्ज करने वाले पीडब्लू 7 के साक्ष्य से पता चलेगा कि मृतक के रिश्तेदार

अस्पताल में मौजूद थे। यदि ऐसा है, तो यह अस्वाभाविक होगा कि रोगी अपने रिश्तेदार से मृत्यु की घोषणा करने की अपेक्षा न करे, और कोई भी आने वाला नहीं है, यह तर्क दिया जाता है। हालाँकि, हम देखते हैं कि पीडब्लू 3, जो मृतक का भाई है, ने यवतमाल के अस्पताल में होने की बात कही है। उसने मुख्य जाँच में गवाही दी कि जब उन्होंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि उसका पति अरनी बाजार गया और कुछ शराब खरीदकर घर आया और उसे पीटा और उसने उस पर और दोनों बच्चों के व्यक्ति पर मिट्टी का तेल डाला और उन्हें आग लगा दी। उसने यह भी बताया कि वह रात को 11 बजे 11.30 पर घर आया है। जिरह में यह सच है कि उसने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन ने बताया है कि आरोपी ने दो बेटों पर भी मिट्टी का तेल डाला था। वह चूक का कारण (जाहिरा तौर पर पुलिस द्वारा उनसे लिया गया ऐसा बयान) समझाने में असमर्थ था। वह कहता है, निस्संदेह यह भी कि जब उसने उसकी बहन को देखा, तो वह पूरी तरह से जल गई थी। उसकी पत्नी ने मृतक से पूछा और फिर मृतक ने उपरोक्त बताया है। वह मौजूद था और उन्होंने सभी को सुना कि उसने क्या कहा। वह कहेंगे कि यह असत्य है कि मृतक बात करने की स्थिति में नहीं था। मृतक का चेहरा नहीं जला था। वह इस बात से भी इनकार करता है कि मृतक ने यह नहीं बताया है कि अपीलार्थी ने मिट्टी का तेल डाला है और जला दिया है। यह सच है कि अपीलार्थी अपने बेटों पर मिट्टी का तेल डालने के संबंध में धारा 307 के तहत अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है, जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू 3 के साक्ष्य को सेवा में लगाया गया हो सकता है, लेकिन हम इस तथ्य में आश्वासन पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां मृत्यु घोषणा के अलावा किसी भी साक्ष्य की पूरी कमी है।

कैनाइंऽऽऽ

महाराष्ट्र राज्य। एसईसी।

[के. एम. जोसेफ, जे.]

पंचनामे के गवाह से पता चलता है कि उपरोक्त गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था और अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान प्लास्टिक कंटेनर की कोई जब्ती नहीं होने के बारे में उपरोक्त बयान दिया गया था। हालाँकि, हम देखते हैं कि पीडब्लू 4 पंचनामा का एक और गवाह है। वह कहता है कि कमरे में रजाई, दीपक और साड़ी के टुकड़े वहाँ थे। वह आगे कहता है कि पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और उसने अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए। वह आगे कहता है कि पुलिस ने पंचनामे के अनुसार वस्तुओं को जब्त कर लिया और अनुमति के साथ उससे जिरह करने की अनुमति दी गई। प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू 4 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सच है कि पुलिस ने अपीलार्थी के कमरे से एक प्लास्टिक कंटेनर जब्त किया है। उन्होंने कहा कि वह उन्हें दिखाए गए जब्त किए गए सामान की पहचान कर सकते हैं और उन्होंने कंटेनर की पहचान अनुच्छेद 'बी' के रूप में की। बचाव पक्ष के वकील द्वारा प्रतिपरीक्षा में, यह निम्नानुसार हैः

" बचाव पक्ष के वकील द्वारा क्रॉस पुलिस मुझे मेरे घर पर बुलाने नहीं आई थी। जब मैं गया था

घटनास्थल पर, पुलिस पहले ही वस्तुओं को हटा चुकी थी। पुलिस ने ऐसा नहीं किया।

मेरी उपस्थिति में लेखों पर लेबल। जब पुलिस ने लिया था माप मैं कमरे में मौजूद नहीं था। यह कहना सही नहीं है कि,

पुलिस ने मेरी उपस्थिति में कुछ भी जब्त नहीं किया था और मैंने केवल हस्ताक्षर किए थे

पंचनामा।

आरओएसी

पुनः जाँचः नील

एसडी/- ए. डी.

उफाडे

ए. एस. जे.

पुसाद 28/8/01 "

27. पीडब्लू 4 के बयान से पता चलता है कि वह पुलिस को स्वीकार करता है

पंचनामा तैयार करना और उसमें हस्ताक्षर होते हैं और पुलिस ने वस्तुओं को जब्त कर लिया। जिरह में वह अपीलार्थी के कमरे से मिट्टी के तेल के प्लास्टिक कंटेनर की जब्ती को स्वीकार करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक लैम्प के आकस्मिक पतन का मामला और रक्षा गवाहों का प्रमाण

28. यह निर्विवाद है कि मृतक की मृत्यु जलने से हुई थी। कि अपीलार्थी मृतक और उनके दो लोगों के साथ उक्त कमरे में था

बच्चे सवाल करने के लिए खुले नहीं हैं। कमरा एक छोटा सा कमरा प्रतीत होता है। मृत्यु घोषणा यदि स्वीकार की जाती है तो यह इंगित करता है कि मृत्यु का कारण हत्या है और अपराध का लेखक अपीलार्थी है। धारा 313 के तहत अपने बयान में, अपीलार्थी ने निम्नानुसार निवेदन कियाः

" मैं, पत्नी और दो बेटे घर में सो रहे थे और उस समय दीपक कैसे गिरा, मुझे नहीं पता। अपराधबोध के कारण आग की लपटें उठीं और इसलिए मुझे, पत्नी और दो बेटों को जलने से चोटें आईं। मैं अपने बेटों और पत्नी पर आग बुझाने गया था। मुझे भी जलने की चोट लगी, मेरे दोनों पैर और हाथ जल गए। इसके बाद हम सभी जीप से अस्पताल गए। इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ "।

29. दीपक के दुर्घटनावश गिरने का मामला हमें आकर्षित नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य का मामला सच है कि यदि कांच का दीपक मृतक पर गिर गया है तो यह टुकड़ों में टूट गया होगा और इसका सबूत होना स्वीकार्य नहीं हो सकता है। यह है।

बहुत संभव है कि एक कांच का दीपक यदि मृतक पर गिरता है, तो केवल एक व्यक्ति पर गिरने से यह निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है कि कांच टूट जाए। अगर ऐसा है।

इसे साफ किया जाना था तो यह रजाई पर गिर सकता है। केवल अगर यह कठोर वस्तु पर टकराता है तो दीपक टूट जाएगा। वास्तव में दीपक टूटा नहीं है। इस स्तर पर हम डी. डब्ल्यू. 1 और डी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य की भी जांच कर सकते हैं।

उसका ट्रैक्टर। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कहेंगे कि उन्होंने पुलिस को यह नहीं बताया है कि मृतक ने उन्हें बताया था कि दीपक गिर गया है और जिसके कारण वह जल गई है। निचली अदालत ने इस साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया है। इसी तरह, उच्च न्यायालय को उनके साक्ष्य पर विश्वास करना उचित नहीं लगा। डी. डब्ल्यू. 1 पर दो अदालतों ने विश्वास नहीं किया है। आ रहा है। अपीलार्थी के चचेरे भाई डी. डब्ल्यू. 2 ने मुख्य जाँच में यह भी कहा कि डॉक्टर ने पूछा कि मृतक कैसे जल गया था। द.

मृतक ने उल्लेख किया कि दीपक गिर गया था और रजाई जल गई थी और फिर वह जल गई थी। यहां तक कि जब वे संदर्भित अस्पताल गए तो यह संस्करण भगवान बनाम।

30. उनका कहना है कि यह सच नहीं है कि डॉक्टर द्वारा दिए गए इलाज के समय न तो वह और न ही कोई और मृतक के साथ थे। वह आगे कहते हैं कि उस समय मृतक के शरीर से मिट्टी के तेल की बदबू आ कपड़े जल रहे थे। वह कहता है कि यह सच नहीं है कि उसने पुलिस को बताया था कि मृतक ने उसे बताया था कि वह दीपक गिरने से जल गई थी। अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा में वह कहता है कि बयान के समय उसने यह नहीं कहा है कि मृतक ने उसे बताया था कि वह दीपक गिरने से जल गई थी।

31. इस गवाह के बयान पर भी विश्वास नहीं किया जाता है। निस्संदेह, वह अपीलार्थी का रिश्तेदार है।

32. पी. डब्ल्यू. 9 के साक्ष्य से कोई संदेह नहीं है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक्स. एच. 64 एमएलसी सूचना दुर्घटनावश जलने के इतिहास का उल्लेख किया गया है। यह नहीं दिखाएगा

कि ऐसा बयान मृतक द्वारा दिया गया था और यह आम तौर पर उसके साथ आने वालों से निकला होगा।

ऐप्पलेंट और उसके बेटों को लगी चोटें

33. फिर केवल एक पहलू है जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह है अपीलार्थी और उसके दो बेटों को लगी जलन की चोटें। हम हैं।

यह विचार कि अपीलार्थी और दोनों बेटों को लगी जलने की चोटें अपीलार्थी द्वारा की गई हत्या के अभियोजन संस्करण के साथ मेल खाती हैं। अपीलार्थी नशे में था, उसने मिट्टी का तेल डाला। चोटों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया में मृतक उग्र होगा और उसकी प्रतिक्रिया होगी

अपीलार्थी और उनके बच्चों सहित एक छोटे से कमरे में अन्य लोगों के साथ उसे घनिष्ठ संपर्क में लाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने बाद में आग बुझाने का प्रयास किया होगा। अपीलार्थी को मृत्यु घोषणा द्वारा पूरी तरह से फंसाया गया है। उनकी मृत पत्नी के मुंह से स्पष्ट शब्द निकले, जिनसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वह होश में होगी, कि उन्हें अपने निर्माता से मुंह में झूठ के साथ मिलना होगा। हम अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। याचिका खारिज हो जाएगी। चूंकि अपीलार्थी को इस न्यायालय के आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया है, हम निर्देश देते हैं कि जमानत बांड 156

अपीलार्थी में से एक को रद्द कर दिया जाएगा और अपीलार्थी को शेष सजा काटने के लिए हिरासत में लिया जाएगा।

कल्पना के. त्रिपाठी